Actual size Page 1 frunt_master.qxd 2/26/2020 1:23 PM Page 1

राष्ट्रीय साप्ताहिक
हुब्बुल वतने जुज़ऊम मिनल ईमान...
जन वकालत
वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है...
सम्पादक - राजेश झाला ए. रज़ाक
वर्ष - 08, अंक - 18 गुरुवार, दिनांक- 27 फरवरी से 04 मार्च 2020 कीमत 5 रु. पृष्ठ 8 www.janvakalatnews.com email:-janvakalat.rtm@gmail.com

जिला चिकित्सालय की कहानी जनवकालत की जुबानी...

एक दिन डॉ. ललित जायसवाल जैसे आरोपियों को कानून अपराधी घोषित करेगा...

राजेश झाला ए. रज़ाक
सम्पादक

पिछले माह 9 जनवरी 2020 से रतलाम जिला अस्पताल में हो रही गंभीर धांधलियों को **राष्ट्रीय साप्ताहिक जनवकालत** समाचार पत्र ने सिलसिलेवार प्रकाशित कर मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के गुड गवर्नेंस के सम्मुख रखा। समाचार पत्र की डॉ. ललित जायसवाल से या अन्य वरिष्ठ डॉक्टरों से या अन्य जिला अस्पताल एवं जिला प्रशासन के जिम्मेदारों से किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत द्वेषता नहीं है, अपितु भारत के समाचार पत्रों का कर्तव्य है, कि असंवैधानिक कार्य, गलत गति विधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से भ्रष्ट तत्वों का भंडाफोड़ कर भारतीय समाज में संविधान सम्मत, रचनात्मकता, नैतिकता एवं राष्ट्रीयता की भावनाओं के साथ देशवासियों का चहुमुखी विकास हो। रतलाम जिला सहित मध्य प्रदेश और पूरे देश में चिकित्सकों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की कमी है। देश की लापरवाह सरकार देशवासियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, वहीं डॉक्टरों की एक बड़ी जमात आमजन के साथ अमानवीय व्यवहार से बाज नहीं आ रही है। देश का रोगी बीमार एवं उसके परिजन भ्रष्ट डॉक्टरों की चंगुल में फंसे हैं, क्योंकि डॉक्टरों को पता है, कि मरीज को अंतोगत्वा उन्हीं के पास आना है। मरीज चाहे प्राइवेट अस्पताल में जाए, या सरकारी अस्पताल में जाए कुछ भ्रष्ट तत्वों ने रतलाम सहित पूरे देश में मकड़ जाल बिछा रखा। कमीशन बाजी का खेल हर विभाग में चल रहा है, भारत देश में रतलाम जिला अस्पताल के भ्रष्ट डॉक्टर ललित जायसवाल और इनके साथ पर्दे के पीछे से प्रक्षय देने वाले भ्रष्ट तत्वों की कारगुजारी पर पर्दा डालने वाले प्रशासन के जिम्मेदारों ने मध्यप्रदेश में कुशासन को बढ़ावा दिया है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण रतलाम जिला अस्पताल के भ्रष्ट डॉक्टर एवं स्वास्थ्य अधिकारी है। (1) 11 वर्षीय नाबालिग गर्भवती की सोनोग्राफी, (2) मृत गर्भवती किशोरी का पोस्टमार्टम नहीं करना, श्मशान में परिजन द्वारा मृतक के पेट को चीरकर बच्ची निकालना तथा शासकीय नियमों के विरुद्ध कार्य करने में रतलाम जिला अस्पताल को महारत हासिल है। रतलामी जनता यह कयास लगा रही है, कि आखिर इन भ्रष्टों को संरक्षण कौन दे रहा है? कोई असामाजिक तत्वों से तार जोड़ रहा है, तो कोई मंत्रियों के दलालों से सांठगांठ बता रहा हैं जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने अपेक्षाकृत कम ही भ्रष्टों पर दृष्टि डाली है। यदि

डॉ. ललित जायसवाल

कांग्रेस सरकार के नुमाइंदे समय रहते रतलामी भ्रष्टो पर विधि सम्मत कार्यवाही करवाने में चुक करेंगे, तो भारतीय समाज के जिम्मेदार विधानसभा में भी प्रश्न उठाएंगे। राष्ट्रीय साप्ताहिक जन वकालत समाचार पत्र ने आमजन के सम्मुख भ्रष्ट तत्वों का नकली मुखौटा उजागर किया है, तथा समाचार पत्र सदैव कानून को साथ में लेकर चलने में विश्वास रखता है, इसलिए रतलाम जिला अस्पताल से संबंधित कई अहम जानकारियां सूचना के अधिकार के तहत चाही गई है जैसे- (1) रतलाम जिले में कुल कितने सोनोग्राफी सेंटर एवं मशीनें उपलब्ध है, तथा यह मशीनें किसके नाम से रजिस्टर्ड है, संपूर्ण विवरण प्रदान करें। (2) सोनोग्राफी सेंटर की मशीनों का लाइसेंस नवीनीकरण कब से कब तक का है। (3) जिला चिकित्सालय में कितनी सोनोग्राफी मशीनें है, तथा कितने सोनोलॉजिस्ट कार्यरत हैं, तथा कितने सोनोलॉजिस्ट के पास पीसीपीएनडीटी का लाइसेंस उपलब्ध है। (4) वर्तमान में पीसीपीएनडीटी की जांच जिला अस्पताल में कौन-कौन से डॉक्टर कर रहे हैं। (5) सोनोग्राफी सेंटर जिला अस्पताल की पिछले 6 माह का पीसीपीएनडीटी का संपूर्ण विवरण प्रदान करें। (6) जिला चिकित्सालय में पदस्थ समस्त सोनोलॉजिस्ट की वर्तमान पदस्थापना, स्थापना आदेश तथा उनके शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र की छाया प्रति, तथा पीसीपीएनडीटी कर रहे डॉक्टरों के लाइसेंस की छाया प्रति प्रदान करें। (7) निगरानी समिति द्वारा रतलाम जिले में पिछले 1 वर्ष में कितनी बार निरीक्षण किया गया, तथा निरीक्षण उपरांत की गई कार्यवाही का संपूर्ण विवरण प्रदान करें। (8) रतलाम जिले में पंजीकृत क्लीनिक, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, लैब की सूची की प्रमाणित छायाप्रति। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई है, किंतु जानकारी संबंधित विभाग ने नहीं दी है। जन वकालत समाचार पत्र समूह जनहित में शीघ्र ही न्यायालय में रतलाम जिला अस्पताल के भ्रष्ट तत्वों के विरुद्ध वाद प्रस्तुत करने पर विधि विशेषज्ञों से विमर्श कर रहा है, ताकि गरीब असहाय रोगियों को न्याय मिल सके, तथा वह दिन दूर नहीं है, जब वर्तमान के आरोपी डॉ. ललित जायसवाल सहित अन्य भ्रष्ट तत्व अपराधी घोषित होंगे।

लूटेरा कय्यूम मंसूरी कब आएगा पुलिस की गिरफ्त में...?

जनवकालत/रतलाम
जाफर अब्बासी

लूटेरा कय्यूम मंसूरी

कृषि उपज मंडी रतलाम में वर्ष 2016 में मंसूरी ट्रेडर्स के प्रोपराइटर कय्यूम अहमद मंसूरी पिता इकबाल अहमद मंसूरी निवासी हॉट रोड कब्रिस्तान के सामने रतलाम एवं उसके अन्य साथियों ने मिलकर मंडी व्यापारियों से करोड़ों रुपयों की धोखाधड़ी की। हुसैन ट्रेडर्स के प्रोपराइटर मोहम्मद मेहफूज खान ने जनवकालत को अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि कय्यूम मंसूरी ने अन्य व्यापारियों की तरह उनसे भी व्यापारिक लेन-देन बना रखा था, और विश्वास में लेकर उनसे साढ़े पन्द्रह लाख रुपये ले रखे थे, जिसे लेकर वह फरार हो गया। जब उसके घर जाकर पता किया तो उसके घरवाले उसके पिता एवं भाई रिजवान इधर-उधर की बात करके एवं रुपए देने की बात कहकर गुमराह करते रहे। परेशान होकर मोहम्मद मेहफूज खान ने स्टेशन रोड थाने पर आरोपियों की एफ. आई. आर. दर्ज कराई। जिस पर आरोपी मोहसिन पिता अशरफ मंसूरी ने जमानत करा ली, एवं कय्यूम मंसूरी आज तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। जिसका स्टेशन रोड थाने में स्थाई वारंट निकला हुआ है। पीड़ित मेहफूज खान ने बताया कि उसने बैंक की सीसी लिमिट के लोन से रुपए निकाल कर दिए थे। जिसका ब्याज भरते भरते वह बर्बाद हो चुका है, और काम धंधा भी पूरी तरह बंद हो गया है, एवं वो अत्यंत दयनीय स्थिति में पहुंच गया है, और लोन के रुपए चुकाने में असमर्थ है, एवं दूसरी तरफ प्रशासन की आंख में धूल झोंक कर कय्यूम मंसूरी, मोहसिन एवं उसके भाई व सहयोगी धोखाधड़ी के रूपयों से अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं, और सुखद जीवन का आनंद ले रहे हैं। विडंबना यह है, कि हमारे देश के लचीले कानून एवं न्याय प्रक्रिया में देर के चलते ऐसे कई पीड़ित दयनीय स्थिति में जीवन यापन कर रहे हैं, और कुछ तो परेशान होकर आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। दूसरी तरफ कय्यूम मंसूरी जैसे चालबाज शासन-प्रशासन में अपनी हर तरह की पकड़ बनाकर कानून के शिकंजे से बचते रहते हैं। आज जरूरत है कि ऐसे लुटेरों पर सख्ती करके पीड़ितों की मदद करने और उन्हें इंसाफ दिलाने की, ताकि वे ऐसे नरकीय जीवन से बाहर आ सके और यह तभी संभव है, कि हमारा शासन प्रशासन इन लुटेरों को किसी तरह की कोई मोहलत ना दें, एवं इनसे सख्ती से निपटने के लिए हर संभव कदम उठाए।